देवालय

प्रथम अंक – 2021

संपादक
हरि मोहन भटनागर
क्षेत्रीय प्रमुख

सह संपादक
संजय भार्गव
संयुक्त महाप्रबंधक(परि0)/प्रशा0
बलराम सिंह चौहान
उप प्रबंधक(आई.टी.)/ नोडल अधिकारी (रा.भा.)

सहयोग
हडको क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के समस्त सहकर्मी एवं परिवारगण

अनुक्रमणिका

- संदेश 1-6
- सम्पादकीय 7
- हिन्दी भाषा का इतिहास एवं विकास (श्री बलराम सिंह चौहान) 8
- राजभाषा हिन्दी पखवाडा कार्यक्रम एवं नराकास से प्राप्त पुरस्कार 9-10
- उत्तराखण्ड राज्य में हडको की गतिविधियां 11-13
- प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) का विवरण 14
- हडको द्वारा शहरी निकायों (नगर पालिकाओं) को वित्तपोषित की गई परियोजनाएं 15
- हडको निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) योजनाओं का विवरण 15-20
- हडको परामर्श(कंसल्टेंसी) सेवा 21
- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार के साथ बैठक 22-23
- भवन निर्माण में भूकम्प अवरोधी आधुनिक तकनीक का प्रयोग 24-27
- कविता – बेटी का महत्व (श्री प्रताप लाल) 27
- स्वच्छ देहरादून अभियान समाजिक दायित्व–इको ग्रुप–एक अनोखी पहल (श्री संजय भार्गव) 28
- नई इनकम टैक्स(आयकर) प्रणाली (श्री अशोक कुमार लालवानी) 29-32
- खेल दिवस का उत्सव (श्री विवेक प्रधान) 33-35
- कोविड–19 पेंडेमिक (श्री एच.एम. भटनागर) 36
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह 37
- पांच रोचक जीवनोपयोगी तथ्य (कीर्ति राणा) 38
- कविता – माँ (सुश्री आरूषी लालवानी) 39
- कविता – हे! हिन्दी तुम्हें प्रणाम (श्री बलराम सिंह चौहान) 40

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हडको क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून इस वर्ष अपनी हिंदी गृह पत्रिका 'देवालय' (प्रथम अंक) का प्रकाशन कर रहा है जो कि राजभाषा हिन्दी के प्रचार प्रसार का एक मानकीय माध्यम है और इस प्रयास की मैं हार्दिक सराहना करता हूँ।

देहरादून क्षेत्रीय कार्यलय, उत्तराखण्ड राज्य के विकास में कई वर्षों से अहम भूमिका निभा रहा है। वर्तमान में आवासीय क्षेत्र से सम्बंधित योजनाएं, शहरी अवसंरचना, कम लागत आवास योजनाएं, व्यवसायिक इन्फ्रास्ट्रक्चर योजनाएं इत्यादि का सफलतापूर्वक वित्तपोषण के माध्यम से क्रियान्वयन कर इस आपदा पीड़ित राज्य के पुनरूत्थान में भी अभूतपूर्व योगदान प्रदान कर रहा है। साथ ही सीएसआर के तहत हडको रैन बसेरा, सार्वजनिक शौचालयों, सोलर लाईट, सड़क/खड़ण्जा का निर्माण, भूमिगत कचरा प्रबंधन जैसी योजनाओं का वित्तपोषण कर रहा है।

मैं आशा करता हूँ कि पत्रिका में ज्ञानवर्धक तकनीकी लेख, सूचनाप्रद आलेख एवं हिंदी साहित्य के साथ–साथ हिंदी भाषा से संबंधित अन्य ज्ञानवर्धक जानकारियों का समावेश होगा। मैं पत्रिका के साथ प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़े सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूँ और पत्रिका के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आशा है कि **"देवालय"** सफलता के नए आयाम स्थापित करेगी।

कामरान

कामरान रिज़वी, आईएएस
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हडको

उत्तराखण्ड शासन

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि0 (हडको) देहरादून द्वारा अपनी गृह पत्रिका **"देवालय"** के प्रथम अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। पत्रिका में हिन्दी के प्रचार–प्रसार के साथ–साथ गृह निर्माण की नई–नई तकनीकों की जानकारी राष्ट्रभाषा हिंदी के माध्यम से प्रकाशित करने का प्रयास किया गया है जो पाठकों के लिये लाभप्रद सिद्ध होगा। हडको का यह प्रयास प्रशंसनीय है।

आशा है इस पत्रिका में उत्तराखण्ड राज्य की समृद्ध संस्कृति एवं अन्य जानकारियों का समावेश भी होगा। मेरी ओर से पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि0(हडको) देहरादून परिवार को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाऐं।

त्रिवेंद्र सिंह रावत
मुख्यमंत्री,
उत्तराखण्ड सरकार

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि हडको क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करते हुए कार्यालय की राजभाषा गृह पत्रिका **"देवालय"** के प्रथम अंक का प्रकाशन कर रहा है। सरकारी कामकाज में राजभाषा के इस प्रकार के अनूठे प्रयोग से यह गृह हिन्दी पत्रिका बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। राजभाषा को समुन्नत बनाने की दिशा में हिन्दी पत्रिका "देवालय" के प्रकाशन के लिए हडको क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून बधाई का पात्र है।

मैं हिन्दी गृह पत्रिका के कलेवर व कथ्य सामग्री के लिए पत्रिका के संपादन मंडल की ओर से किए गए श्रमसाध्य प्रयासों की भी सराहना करता हूँ। निश्चित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय का यह प्रयास राजभाषा के प्रसार में हडको को गौरवान्वित करेगा।

(एम. नागराज)
निदेशक कॉर्पोरेट प्लानिंग, हडको

संदेश

मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हडको देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय की गृह पत्रिका **"देवालय"** (प्रथम अंक) का प्रकाशन कर रहा है जो कि राजभाषा हिन्दी के प्रचार प्रसार का एक मानकीय माध्यम है जिसमें हडको पोषित परियोजनाओं तथा विकास की नवीन संभावनाओं को दर्शाया गया है। मुझे बहुत खुशी है कि इस पत्रिका की पठन–पाठन सामग्री हर वर्ग के लिए विशेषतः चयनित की गई है जोकि सराहनीय प्रयास है।

मैं क्षेत्रीय कार्यालय परिवार के प्रेरणा भरे कदम का हार्दिक स्वागत करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि यह गृह पत्रिका सफलता के नए आयाम स्थापित करेगी।

डी गुहान
निदेशक–वित्त

संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि हडको क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की गृह पत्रिका **"देवालय"** के प्रथम अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। विचारों की संवाहिका के साथ ही भावनाओं की अभिव्यक्ति का गुण भी एक सुदृढ़ भाषा में निहित होता है।

यह अत्यंत गौरव की बात है कि हडको क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की इस पत्रिका में हडको की कार्यप्रणाली उद्देश्य, अनुभव व रचनात्मकता को समाहित किया गया है।

मैं आशा करता हूँ कि देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय भविष्य में भी राजभाषा प्रसार में इसी प्रकार के प्रयास करता रहेगा।

अजय मिश्रा
मुख्य सतर्कता अधिकारी

संदेश

मुझे यह जानकार अत्यधिक प्रसन्नता हुई है कि हडको क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून राजभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार एवं उन्नयन की दृष्टि से अपनी हिन्दी गृह पत्रिका **"देवालय"** के प्रथम अंक का प्रकाशन कर रहा है। हिन्दी भाषा के प्रचार–प्रसार एवं सृजनात्मकता की दृष्टि से देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय के सभी कार्मिक एवं पत्रिका का संपादक मंडल इस उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई का पात्र है।

आशा करती हूँ कि देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय भविष्य में भी राजभाषा हिन्दी की प्रगति की दिशा में इस प्रकार के सृजनशील एवं सकारात्मक प्रयासों के लिए सदैव तत्पर रहेगा।

शुभकामनाओं सहित।

उपिन्दर कौर
महाप्रबंधक (राजभाषा), हडको

सम्पादकीय

"देवालय" के प्रथम अंक को प्रस्तुत करते हुए मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। हिन्दी भाषा में कार्य करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय–समय पर कार्य का आकलन कर प्रोत्साहित किया जाता है, यह पत्रिका उसी उद्देश्य का एक प्रयास है।

यह पत्रिका राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार के साथ–साथ हमारे जनमानस में हिंदी भाषा में संसूचना का एक सशक्त माध्यम सिद्ध होगी जिसके द्वारा न केवल भाषायी उपलब्धि अपितु ज्ञानार्जन परिप्रेक्ष्य भी पूर्ण होगा।

मैं सभी रचनाकारों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिनके योगदान से यह पत्रिका प्रकाशित हुई है। मेरी इच्छा है कि क्षेत्रीय कार्यालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी इस पत्रिका में नियमित योगदान देते रहें ताकि हम अपने प्रबुद्ध पाठकों को भविष्य में और अधिक रोचक व ज्ञानवर्धक अंक प्रस्तुत करते रहें तथा पूर्ण विश्वास है कि इस अंक के बारे में आपके बहुमूल्य सुझाव अवश्य प्राप्त होंगे।

शुभकामनाओं के साथ।

हरि मोहन भटनागर
क्षेत्रीय प्रमुख

हिन्दी भाषा का इतिहास एवं विकास

किसी देश के अधिकांश लोगों द्वारा समझी तथा प्रयोग की जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा का सम्मान देश को गरिमा और गौरव प्रदान करता है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने राष्ट्रीय भावना से आन्दोलित होकर लिखा हैः–

"निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल,
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय को शूल"

प्रशासन की भाषा या राजकाज चलाने की भाषा अर्थात् भाषा का वह स्वरूप जिसके द्वारा राजकीय कार्य चलाने की सुविधा हो राजभाषा कहलाती है। हिन्दी भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा दोनों है, इसके विविध रूप राष्ट्रभाषा के आधार स्वरूप है। राष्ट्रभाषा के लिए संविधान में मान्यता की अपेक्षा नहीं होती है, यह देश के अधिकांश लोगों की मानसिक स्वीकृति पर प्रतिष्ठित होती है।

प्राचीन काल के सिक्कों से यह ज्ञात होता है कि हिन्दी के प्राथमिक स्वरूप का विकास उत्तर अपभ्रंशकालीन युग से ग्यारहवीं शताब्दी से हुआ। देवनागरी का प्रयोग मुहम्मद गौरी के सिक्कों पर मिलता है। इस संपर्क भाषा का और अधिक विकास तब हुआ जब 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन तथा तुगलक के कारण उत्तर भारत के लोग बडी संख्या में दक्षिण में गये। बाद में प्रशासनिक दृष्टि से अकबर ने मालवा, बरार, खानदेश एवं गुजरात को मिलाकर दक्षिण प्रदेश बनाया। उस समय कुछ मुस्लिम परिवारों के अतिरिक्त शेष सभी व्यापारी एवं श्रमिक सभी जगह खड़ी बोली का प्रयोग करते थे। सिकन्दर लोदी के शासन काल में भी राज्य का हिसाब–किताब हिन्दी में होता था। शेरशाह सूरी के सिक्कों में नागरी तथा फारसी दोनों का उल्लेख मिलता है। जिला स्तर पर आज प्रशासनिक भाषा का जो ढाँचा है, उसकी बहुत कुछ देन मुगल काल की है। मुगलों की राज–काज की भाषा फारसी भले ही ऊपरी तौर पर हो पर चूँकि यह बोल–चाल की भाषा नहीं थी, इसलिए हिन्दी सह–राजभाषा के रूप में विकसित हो रही थी। मराठा प्रशासन में हिन्दी का व्यापक प्रयोग ताम्रपत्र लिखने, राजनीतिक समझौते, सेना प्रशासन में एवं मराठी से हिन्दी अनुवाद में मिलता है। राजस्थान की विभिन्न रियासतों में तो पूरा पत्राचार हिन्दी में होता था।

राष्ट्रभाषा सदैव लोकभाषा होती है, पर राजभाषा कभी–कभी विदेशी भी हो सकती है। जब भारत में हिन्दू साम्राज्य का पतन हुआ और धर्मांध इस्लाम की विजय पताका के अधीन सारा भारत आ गया तो भारत का सारा राज–काज फारसी में चलने लगा। इसी प्रकार, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अंग्रेजों ने राज–काज अंग्रेजी भाषा में चलाया। साथ ही निजाम के हैदराबाद में उर्दू, पाँड़िचेरी और चंदन नगर में फ्रांसिसी तथा गोवा–दमन में पोर्तुगीज भाषा राजभाषा के पद पर बैठायी गई थी।

भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हिन्दी के साथ–साथ और 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। ये भाषायें उस समय के 14 राज्यों की अपनी–अपनी प्रादेशिक भाषा हैं। अनुच्छेद 345 के द्वारा राज्यों को आज भी यह अधिकार प्रदान किया गया है कि "राज्य का विधानमंडल उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक या हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अंगीकार कर सकता है।" भारतीय संविधान के भाग 5, 6 एवं 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध है। राजभाषा का प्रारंभिक उल्लेख अनुच्छेद 343(1) में इस प्रकार किया गया है – "संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।" भारतीय संविधान में "राजभाषा" शब्द के प्रयोग के अंतर्गत राष्ट्रभाषा हिन्दी, सम्पर्क भाषा हिन्दी और भारत की सामासिक संस्कृति की अभिव्यंजना कर सकने वाली भाषा के रूप में हिन्दी का अभिप्राय विद्यमान है। 14 सितंबर 1949 को संविधान में राजभाषा संबंधी भाग स्वीकृत होने पर सभा के अध्यक्ष ड़ॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने कहा – "आज पहली बार हम अपने संविधान में एक भाषा स्वीकार कर रहे हैं जो भारत संघ के प्रशासन की भाषा होगी और जिसे समय के अनुसार अपने आप को ढालना और विकसित करना होगा।"

बलराम सिंह चौहान
उप प्रबंधक(आई.टी.)/नोडल अधिकारी (रा.भा.)

राजभाषा हिन्दी पखवाड़ा कार्यक्रम एवं नराकास से प्राप्त पुरस्कार ...

हडको क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में दिनांक 10 से 24 सितम्बर, 2020 तक राजभाषा हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। दिनांक 10.09.2020 को पखवाड़े के शुभारम्भ में हडको क्षेत्रीय प्रमुख, श्री हरि मोहन भटनागर द्वारा श्री सुनील कुमार, राजभाषा अधिकारी, नराकास (कार्यालय–2), राजभाषा विभाग, ओएनजीसी, देहरादून का स्वागत करते हुए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराया कि ''कोविड–19 पेंडेमिक'' को देखते हुए इस वर्ष हिंदी प्रचारक कार्यक्रमों से संबंधित कुछ खास–खास गतिविधियों/प्रतियोगिताओं एवं कार्यशाला का आयोजन ऑनलाईन/ऑफ लाईन के माध्यम से किया गया।

विगत 29 मई, 2020 को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नगर राजभाषा कर्यान्वियन समिति (कार्यालय–2), देहरादून की छःमाही बैठक, जिसका आयोजन वेबेक्स के माध्यम से किया गया था, में नराकास द्वारा हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु हडको क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून को प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी परन्तु कोविड–19 पेंडेमिक के कारण उक्त शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र प्राप्त नहीं किए जा सके थे जो श्री सुनील कुमार, राजभाषा अधिकारी, नराकास (कार्यालय–2), राजभाषा विभाग, ओएनजीसी, देहरादून के द्वारा दिनांक 10.09.2020 को हडको क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित हो कर प्रदान किए। क्षेत्रीय प्रमुख एवं सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा श्री सुनील कुमार, राजभाषा अधिकारी, नराकास का धन्यवाद किया गया।

हडको क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून को प्रोत्साहन पुरस्कार

दिनांक 14 सितम्बर, 2020 को निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करते हुए हिन्दी दिवस के रूप में मनाया गया। क्षेत्रीय प्रमुख द्वारा वॉट्सऐप के माध्यम से गृह मंत्री, भारत सरकार, का "हिंदी दिवस संदेश" क्षेत्रीय कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को भेजा गया जिसके द्वारा हिन्दी भाषा का परिचय, हिन्दी की उन्नति व प्रगति की यात्रा का वर्णन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जाना।

दिनांक 24.09.2020 को पखवाड़ा समापन समारोह आयोजन किया गया। पखवाडा समापन समारोह में हडको क्षेत्रीय कार्यालय के विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। क्षेत्रीय प्रमुख, हडको क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून ने कार्यालय में हिंदी के प्रचार एवं प्रसार को बढ़ाने हेतु प्रभावी सुझाव दिये। क्षेत्रीय प्रमुख द्वारा हिंदी के कार्यों में बढोत्तरी हेतु पूर्व में जारी दिशानिर्देशों की पुनः चर्चा की गई और सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अधिक से अधिक हिंदी में वार्तालाप एवं कार्य करने का अनुरोध किया गया। श्री बलराम सिंह चौहान, उप प्रबंधक (आई.टी.)/हिन्दी नोडल अधिकारी(रा.भा.) ने अवगत कराया गया कि देहरादून कार्यालय "क" क्षेत्र के अंतर्गत आता है इस क्षेत्र में हिन्दी भाषा को गर्व एवं गौरव के साथ प्रयोग किया जाता है, हडको क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा लगभग 91 प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है।

क्षेत्रीय प्रमुख पुरस्कारों की घोषणा करते हुए

उत्तराखण्ड राज्य में हडको की गतिविधियां

उत्तराखण्ड राज्य में हडको द्वारा कुल 147 योजनाएं स्वीकृत की हैं, जिनकी परियोजना लागत ₹ 4625.79 करोड़ तथा हडको ऋण राशि ₹ 2305.07 करोड़ है।

क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रमुख योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी निम्न प्रकार से है:–

परियोजना का नाम व विवरण

पंडितवाडी, देहरादून में हाउसिंग प्रोजेक्ट गार्डन व्यू अपार्टमेंट का निर्माण। (योजना सं० 19145), द्वारा मै० प्रगति प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स।

परियोजना लागत ₹802.34 लाख
ऋण राशि ₹200.00 लाख

आईएसबीटी, देहरादून के पास कम्पोजिट आवास योजना का निर्माण। (योजना संख्या 20254) द्वारा मै० मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण।

परियोजना लागत ₹8686.86 लाख
ऋण राशि ₹3380.00 लाख

हरिद्वार में आवासीय परियोजना का निर्माण। (योजना सं० 18934) द्वारा मै० दिल्ली अपार्टमेंट प्रा०लि०

परियोजना लागत **₹3586.78** लाख
ऋण राशि **₹1416.96** लाख

"देवभूमि अपार्टमेंट" ब्रह्मवाला सहस्त्रधारा रोड देहरादून का निर्माण।
(योजना सं० 19514) द्वारा
मै० दत्त इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लि0
परियोजना लागत ₹381.68 लाख

ऋण राशि ₹126.00 लाख

ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट "गार्डन एस्टेट अपार्टमेंट" डांडा धोरण, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून का निर्माण।
(योजना सं०19197) द्वारा
मै० हंसमुखी प्रोजेक्ट प्रा०लि०

परियोजना लागत ₹2433.58 लाख
ऋण राशि ₹1050.00 लाख

देहरादून के धोरण खास में ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट "ट्रेजर वैली" का निर्माण
(योजना संख्या 19153) द्वारा
मै० पीसी डेवलपर प्रा०लि०

परियोजना लागत ₹1302.44 लाख
ऋण राशि ₹568.83 लाख

"क्रॉस रोड मॉल" का निर्माण, 1–ओल्ड सर्वे रोड, देहरादून।
(योजना संख्या 19854) द्वारा
मै० उत्तरांचल रियलटर्स

परियोजना लागत ₹3150.00 लाख
ऋण राशि ₹1195.00 लाख

अगुन्डा थाती लघु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट उत्तराखंड (योजना संख्या 18608) द्वारा मै० गुनसोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रा०लि०

परियोजना लागत ₹2053.06 लाख
ऋण राशि ₹1310.76 लाख

उत्तराखंड राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना -एएचपी के तहत हड्को का योगदान

देहरादून के आमवाला तरला में एकीकृत किफायती आवास योजना (योजना सं0 21006)

परियोजना लागत	₹13754.83 लाख
हडको ऋण राशि	₹4285.00
कुल रिहायशी इकाई	592

पीएमएवाई–एएचपी अंतर्गत रिहायशी इकाईयां 240
केंद्रीय सरकार से सब्सिडी राशि ₹360 लाख
(@1.50 लाख प्रति आवास)

ट्रांसपोर्ट नगर, देहरादून के पास किफायती आवास योजना का निर्माण (योजना सं0 20796)

परियोजना लागत	₹7790.47 लाख
हडको ऋण राशि	₹4700.00
कुल रिहायशी इकाई	500

पीएमएवाई–एएचपी अंतर्गत रिहायशी इकाईयां 224
केंद्रीय सरकार से सब्सिडी राशि ₹336 लाख
(@1.50 लाख प्रति आवास)

व्यक्तिगत आवास ऋण योजना - हडको निवास (राशि करोड़)

लाभार्थियों की संख्या –	116
ऋण राशि स्वीकृत –	5.77
ऋण राशि अमुक्त –	4.39

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का विवरण

अवमुक्त अनुदान का विवरण

लाभार्थियों की सं0	कुल क्रेडिट लिंक सब्सिडी अवमुक्त (लाख में)	अवधि
464	955.66	प्रारम्भ से 31.03.2020 तक
347	782.75	अप्रैल 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक

दूरदर्शन, देहरादून में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) पर लाइव कार्यक्रम : सरोकार

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का प्रचार प्रसार

माननीय राज्यमंत्री श्री करण वोहरा जी, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 17.02.2020 को विधान सभा क्षेत्र डोईवाला, जिला देहरादून में शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना के प्रचार–प्रसार हेतु मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में हडको क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रतिभाग किया गया।

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय में क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना पर एक समीक्षा बैठक सह–कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें योजनान्तर्गत आने वाली विभिन्न समस्यों के समाधन पर चर्चा की गई। इस बैठक में विभिन्न बैकों प्रतिनिधियों के साथ शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन के अधिकारी, राज्य नगर विकास अभिकरण(सूडा), नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के सदस्यों के साथ हडको से श्री संजय भार्गव, संयुक्त महाप्रबंधक (परि0) एवं बलराम सिंह, उप प्रबंधक(आई.टी.) ने भाग लिया।

हडको द्वारा शहरी निकायों (नगर पालिकाओं) को वित्तपोषित की गई परियोजनाएं ...

अल्मोड़ा में वाणिज्यिक सह पार्किंग परिसर का निर्माण
हडको ऋण : 210 लाख

नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा इस परियोजना से प्रति वर्ष 20 लाख से अधिक राजस्व कमा रही है।

गोपेश्वर (चमोली) में वाणिज्यिक सह पार्किंग परिसर का निर्माणः
हडको ऋण : 90 लाख

नगर पालिका परिषद गोपेश्वर ने अपने राजस्व में वृद्धि के साथ–साथ पार्किंग की समस्याओं को दूर करने में कामयाबी हासिल की है।

हडको निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व Corporate Social Responsibility...

उत्तराखण्ड राज्य में हडको द्वारा कुल 14 सी.एस.आर. योजनाएं स्वीकृत की गई है, जिनकी परियोजना लागत ₹498.91 लाख तथा अवमुक्त अनुदान राशि ₹285.22 लाख है, इनमें 9 योजनाएं पूर्ण हो चुकी है तथा 5 योजनाएं प्रगति पर है, प्रमुख योजनाओं का विवरण :–

निर्माण से पहले

निर्माण के बाद

बुद्धा चौक देहरादून के सुंदरीकरण एवं सुधार कार्य
परियोजना लागत : ₹54.02 लाख
हडको सीएसआर अनुदान : ₹34.28 लाख

कार्यदायी संस्था : मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
बुद्धा जंक्शन देहरादून के प्रमुख क्रॉस जंक्शनों में से एक है और इस जंक्शन के माध्यम से बहुत सारे ट्रैफिक का आवागमन होता हैं। इसके अलावा इसके आसपास के क्षेत्र में दो बड़े स्कूल है। जंक्शन के सुधार से यातायात को सुरक्षित, सुचारू और मुक्त प्रवाह में मदद मिली है और इसने क्षेत्र की ट्रैफिक अड़चन को हल किया है।

मसूरी गांधी द्वार का विकास एवं सौंदर्यीकरण

परियोजना लागत : ₹106.16 लाख

हडको सीएसआर अनुदान : ₹35.00 लाख

कार्यदाई संस्था : मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

गांधी द्वार मसूरी के सबसे व्यस्त जंक्शन में से एक है तथा आकर्षण का केन्द्र है। चार पैर वाला जंक्शन जो सभी पर्यटन प्रेमियों के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। देहरादून से आने वाले सभी ट्रैफिक को किसी न किसी रूप में इस जंक्शन से होकर गुजरना पड़ता है। लाइब्रेरी बिल्डिंग, गजेबो, महात्मा गांधी की मूर्ति, पर्यटकों के आराम करने के लिए स्थान, गढ़वाल पर्वत, देहरादून शहर को यहाँ से देखा जा सकता है।

नगर निगम हल्द्वानी में अंडरग्राउंड म्युनिसिपल वेस्ट कलेक्शन सिस्टम की सतत विकास परियोजना

परियोजना लागत : ₹61.77 लाख रुपये

हडको सीएसआर अनुदान : ₹44.18 लाख रुपये

हल्द्वानी में भूमिगत नगरपालिका अपशिष्ट संग्रह प्रणाली में हाइड्रोलिक क्रेन के साथ 61.77 लाख रुपये के साथ 3 घनमीटर के 6 भूमिगत अपशिष्ट कंटेनर किट शामिल किए गए हैं।

ग्राम पंचायत सीम, ब्लॉक भिकियासैंण, जिला अल्मोड़ा को आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करते हुए विभिन्न कार्यों हेतु हडको सी.एस.आर. अनुदान ₹64.47 लाख की स्वीकृति।

उत्तराखंड के बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष उत्तराखंड, सरकार को सीएसआर अनुदान।
परियोजना लागत : ₹ 25.00 लाख रुपये
हडको सीएसआर अनुदान : ₹ 25.00 लाख रुपये

उत्तराखण्ड में घटित प्राकृतिक आपदा की दुःखद घड़ी में पीड़ितों को सहायता देने के राष्ट्रीय प्रयास में हडको (भारत सरकार का उपक्रम) ने अपने सी.एस.आर. गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास हेतु ''मुख्यमंत्री राहत कोष उत्तराखण्ड'' के लिए ₹25.00 लाख का आर्थिक सहयोग प्रदान किया है।

देहरादून के रायपुर रोड चूनाभट्टा में रैन बसेरा का निर्माण

कार्यदाई संस्था : नगर निगम देहरादून

परियोजना लागत : ₹38.29 लाख रुपये

हडको सीएसआर अनुदान : ₹36.46 लाख रुपये

स्वच्छता कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ शौचालय प्रदान करने हेतू देहरादून जिले में 8 पुलिस स्टेशनों / चौकियों / पुलिस लाइन्स में शौचालयों का निर्माण।

परियोजना लागत : ₹18.16 लाख है।
सीएसआर अनुदान : ₹18.16 लाख है।

इस परियोजना में देहरादून जिले में 8 पुलिस स्टेशनों / चौकियों / पुलिस लाइनों में शौचालयों का निर्माण शामिल है क्योंकि उपलब्ध शौचालय बुरी हालत में और जर्जर हालत में थे। परियोजना स्थलों में एक स्थल पुलिस स्टेशन, चकराता शहर जो देहरादून से 90 किलोमीटर दूर है तथा 2,118 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है।

कैनाल रोड, देहरादून स्थित वाई (Y) जंक्शन के सुधार व सौंदर्यीकरण हडको सी.एस.आर. योजना

हडको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलीटी (सी.एस.आर.) अनुदान ₹15.79 लाख से राजपुर रोड़, केनाल रोड, वाई जंकशन, देहरादून हेतु स्वीकृत किए गए हैं। इस सर्कल के बन जाने से देहरादून–मसूरी–राजपुर रोड एवं केनाल रोड पर ट्रेफिक सुचारू रूप एवं नियंत्रित रखने में सहायता मिल रही है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित "ब्रह्म कमल रोटरी" का लोकार्पण, माननीय मंत्री आवस एवं नगर विकास, श्री मदन कौशीक जी द्वारा किया गया। इस अवसर पर माननीय मेयर श्री सुनील उनियाल (गामा) एवं श्री गणेश जोशी माननीय विधायक मसूरी, श्री आशीष श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, हडको क्षेत्रीय कार्यालय से श्री हरि मोहन भनागर, क्षेत्रीय प्रमुख एवं अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। इस सर्कल पर "ब्रह्म कमल" जोकि उत्तराखण्ड का राज्य पुष्प है, की तांबे से बनी प्रतिमा को स्थापित किया गया है।

हडको सी.एस.आर. योजना अंतर्गत ऊधम सिंह नगर के 22 राजकीय विद्यालयों को फर्नीचर प्रदान करने हेतु ₹39.99 लाख का सी.एस.आर. अनुदान

हडको सी.एस.आर. योजना अंतर्गत ऊधम सिंह नगर के 22 राजकीय विद्यालयों को फर्नीचर प्रदान करने हेतु।

उत्तराखण्ड राज्य में ऊधम सिंह नगर जनपद (Aspirational district) के 22 राजकीय विद्यालयों के कुल 2222 छात्रों हेतु फर्नीचर उपलब्ध करवाने के लिए ₹39.99 लाख का सी.एस.आर. अनुदान स्वीकृत किया गया। इस संबंध में दिनांक 05.09.2019 को "शिक्षक दिवस" के अवसर पर अनुदान स्वीकृति पत्र डॉ0 आर. मीनाक्षी सुंदरम, आई.ए.एस., सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन के कर कमलों से खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला ऊधम सिंह नगर को प्रदान किया गया।

देहरादून 5 सितंबर 2019 दैनिक जागरण 11

ऊधमसिंहनगर के 22 स्कूलों को फर्नीचर देगा हडको

देहरादून: ऊधमसिंह नगर जिले के 22 राजकीय विद्यालयों के 2222 छात्रों के लिए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हडको) की ओर से 39 लाख रुपये का अनुदान मंजूर किया गया है। हडको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ मेडिदि रविकांत ने बताया कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी के तहत उक्त धनराशि से ऊधमसिंह नगर जिले के 22 राजकीय विलीनीकृत विद्यालयों के छात्रों के लिए फर्नीचर मुहैया कराया जाएगा। (राब्यू)

हडको परामर्श (कंसल्टेंसी) सेवा

"समग्र आवास योजना, आईएसबीटी देहरादून के निर्माण हेतु
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को हडको द्वारा
परामर्श (कंसल्टेंसी) सर्विस दी गई जिसके विरूद्ध ₹ 61.00 लाख आय स्वरूप प्राप्त हुए"

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार के साथ बैठक

मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार, श्री ओम प्रकाश जी की अध्यक्षता में दिनांक 24.08.2020 को एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई जिसमें सचिव–वित्त, सचिव–आवास, सचिव–शहरी विकास, सचिव–पीडब्ल्यूडी, सचिव–स्वास्थ्य, प्रबंध निदेशक–उत्तराखंड मेट्रो रेल, शहरी अवसंरचना एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड, उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए), प्रबंध निदेशक–उत्तराखंड परिवहन निगम (यूटीसी) और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। संयुक्त महाप्रबंधक(परि0) और संयुक्त महाप्रबंधक(वित्त) के साथ क्षेत्रीय प्रमुख देहरादून ने उक्त बैठक में भाग लिया और हडको की गतिविधियों पर एक प्रस्तुति दी जिसमें मेट्रो रेल, एक्सप्रेसवे, रोपवे, एयरपोर्ट, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जैसे विभिन्न ऋण आधारित योजनाओं के फंडिंग पर प्रकाश डाला गया।

पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन और चर्चा के बाद मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को उन परियोजनाओं की पहचान करने और तैयार करने का निर्देश दिया, जो हडको के वर्तमान फंडिंग मानदंडों के अनुसार हडको ऋण के लिए व्यवहार्य हैं। मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि इस संबंध में पुनः समीक्षा बैठक की जाएगी।

दैनिक समाचार पत्रों से

हडको ने वित्त पोषित योजनाओं पर दिया विस्तृत प्रस्तुतिकरण

उत्तर भारत लाइव ब्यूरो

uttarbharatlive.com

देहरादून। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में हडको एवं राज्य सरकार के अन्य उच्च अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें हडको क्षेत्रीय प्रमुख एचएम भटनागर द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में हडको द्वारा वित्त पोषित योजनाओं पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया। साथ ही राज्य के विकास में भविष्य में क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न आवास एवं इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में हडको वित्त पोषण की सम्भावनाओं को तलाशा गया। भटनागर ने बताया कि राज्य कि आवश्यकताओं को देखते हुए हडको वर्ष 2020-21 में

» हडको अधिकारियों की मुख्य सचिव के साथ बैठक आयोजित

1500 करोड़ तक की ऋण सहायता राज्य को उपलब्ध करा सकता है। इस अवसर पर सचिव, वित्त एवं चिकित्सा, सचिव आवास एवं शहरी विकास, एमडी, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम एवं उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण सहित हडको की ओर से संजय भार्गव, संयुक्त महाप्रबंधक (परियोजना) अशोक कुमार लालवानी, संयुक्त महाप्रबंधक (वित्त) एवं बलराम सिंह चौहान, उप प्रबंधक आईटी उपस्थित थे।

मेट्रो परियोजना में हडको ने की निवेश की पेशकश

राज्य ब्यूरो, देहरादून: हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन (हडको) ने उत्तराखंड में चल रही मेट्रो रेल, रोपवे, सड़क, पुल, फ्लाईओवर, स्कूल, अस्पताल, ट्रांसपोर्ट नगर, पार्किंग कांप्लेक्स, पावर प्रोजेक्ट, उद्योग अवस्थापना जैसी परियोजनाओं में निवेश की पेशकश की है। हडको की ओर से इस सिलसिले में सोमवार को मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने लोनिवि, शहरी विकास, राजस्व, एमडीडीए और मेट्रो रेल कारपोरेशन समेत अन्य विभागों में हडको के सहयोग की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए।

प्रस्तुतीकरण के माध्यम से हडको के अधिकारियों ने बताया कि जून 2020 तक उत्तराखंड को 708 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए। इसमें हाउसिंग क्षेत्र में 337.07, शहरी अवस्थापना के लिए 324.77 करोड़, हडको निवास योजना में 4.45 करोड़ और अन्य योजनाओं में 5.93 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

इस मौके पर मुख्य सचिव

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से मुख्य सचिव के समक्ष दिया गया प्रस्तुतीकरण

ओमप्रकाश ने बताया कि जीएसडीपी से दो फीसद अतिरिक्त ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित चार क्षेत्रों से संबंधित सुधार कार्य दिसंबर तक पूरे होने हैं।

इनमें वन नेशन वन राशन कार्ड, शहरी निकायों के सुदृढ़ीकरण, पावर सेक्टर, ईज आफ डूइंग बिजनेस शामिल हैं। इनके आधार पर राज्य को करीब 4600 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण की सुविधा मिलेगी।

उन्होंने हडको की सोशल सेक्टर में निवेश की पेशकश को उपयोगी बताया। बैठक में सचिव अमित नेगी, आरके सुधांशु, शैलेश बगौली, एमडीडीए के उपाध्यक्ष रणवीर सिंह चौहान, हडको के क्षेत्रीय प्रमुख हरिमोहन भटनागर, सहायक महाप्रबंधक संजय भार्गव, सहायक महाप्रबंधक अशोक लालवानी मौजूद थे।

प्रदेश के बुनियादी ढांचे की विकास योजनाओं में पैसा लगाएगा हडको

देहरादून। केंद्रीय आवास मंत्रालय की बड़ी कंपनी हडको ने प्रदेश सरकार से बुनियादी ढांचे में निवेश करने की पेशकश की है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने भी सभी विभागों से कहा है कि वे पता लगाएं कि हडको से क्या-क्या सहयोग लिया जा सकता है।

सोमवार को सचिवालय में हडको के अधिकारियों ने मुख्य सचिव से भूमि अधिग्रहण, मेट्रो रेल, रोपवे, पुल, सड़क, फ्लाई ओवर, स्कूल, अस्पताल, ट्रांसपोर्ट नगर, पार्किंग में निवेश की पेशकश की। हडको के अधिकारियों ने बताया कि अभी तक कंपनी प्रदेश में 708 करोड़ रुपये का कर्ज दे चुकी है। इसमें से 373 करोड़ आवास, शहरी बुनियादी ढांचे में 324 करोड़, हडको निवास योजना में 4.45 करोड़, अन्य में 5.93 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इस दौरान सचिव वित्त अमित नेगी, सचिव लोनिवि आरके सुधांशु, सचिव शहरी विकास शैलेश बगौली, हडको के क्षेत्रीय प्रमुख हरिमोहन भटनागर आदि उपस्थित थे। ब्यूरो

हडको ने की सोशल सेक्टर में निवेश की पेशकश

देहरादून (एसएनबी)। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कर्पोरेशन लि. (हडको) ने उत्तराखंड में चल रही परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण, मेट्रो रेल, रोपवे, सड़क, पुल, फ्लाई ओवर, स्कूल, अस्पताल, ट्रांसपोर्ट नगर पार्किंग कॉम्प्लेक्स, उद्योग अवस्थापना, पॉवर प्रोजेक्ट में हडको द्वारा निवेश करने की पेशकश की है। इसके लिए सोमवार को सचिवालय सभागार में हडको अधिकारियों ने मुख्य सचिव ओम प्रकाश के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया।

मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने हडको के अधिकारियों से कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा जीएसडीपी से दो प्रतिशत अतिरिक्त ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित चार क्षेत्रों यथा वन नेशन- वन राशन कार्ड, शहरी निकायों के सुदृढ़ीकरण एवं पॉवर सेक्टर, राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत जिला स्तर के बिजनेस रिफार्म, नवीनीकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाने से सम्बन्धित रिफार्म्स कार्य दिसम्बर 2020 तक पूर्ण किये जाने हैं, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाये गये हैं। उन्होंने कहा कि इन सुधारों के आधार पर राज्य को लगभग 4600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ऋण सुविधा मिलेगी। उन्होंने हडको द्वारा प्रस्तावित सोशल सेक्टर में निवेश की पेशकश को उपयोगी बताते हुए उपस्थित विभागीय सचिवों को निर्देश दिये कि वे अपने अपने विभाग की योजनाओं में हडको के सहयोग की संभावनाओं का पता लगायें। उन्होंने सचिव लोक निर्माण विभाग, नगर विकास, राजस्व एवं वीसी एमडीडीए, एमडी यूकेएमआरसी को अपने अपने विभाग में हडको की पेशकश की संभावनाओं को तलाशने के निर्देश दिये।

प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि हडको द्वारा जून 2020 तक उत्तराखण्ड में 708 करोड़ रुपये के ऋण जारी किये गये हैं, जिसमें हाउसिंग क्षेत्र में 373.07 करोड़, शहरी अवस्थापना क्षेत्र में 324.77 करोड़, अन्य में 5.93 करोड़ तथा हडको निवास योजना में 4.45 करोड़ ₹ अब तक जारी किये जा चुके हैं। बैठक में सचिव मुख्यमंत्री/चिकित्सा अमित सिंह नेगी, सचिव लोक निर्माण विभाग आर.के सुधांशु, सचिव शहरी विकास शैलेष बगोली, वीसी एमडीडीए रणवीर सिंह चौहान, हडको के क्षेत्रीय प्रमुख हरिमोहन भटनागर, सहायक महाप्रबंधक (परियोजना) संजय भार्गव, सहायक महाप्रबंधक (वित्त) अशोक ललवानी उपस्थित थे।

भवन निर्माण में भूकम्प अवरोधी आधुनिक तकनीक का प्रयोग

वैश्विक पटल पर देखा जाए तो जापान भवन निर्माण तकनीक क्षेत्र में विश्व में सब से आगे है। जापान में वर्ष 2011 में आए विनाशकारी भूकंप व सुनामी के बाद भी वहां की इमारतों का ना गिरना तकनीक की दृष्टि से काफी कुछ सिखाता है। दरअसल ये इमारतें भूकंप को झेलने के हिसाब से ही डिजाइन की गई हैं। भूकंप के इतने तगड़े झटके को भी झेल लेने वाली इन इमारतों ने दुनिया भर के इन्जीनियरों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जापान ने 1995 में कोबे में आए भूकम्प से सीख ली थी। उसके बाद तो यह देश भूकम्प रोधी नए ढाचों को खड़ा करने तथा पुराने ढाचों को उसी अनुरूप तरोताजा करने के मामले में एक वैश्विक अगुआ बन गया। इमारतों के निर्माण के लिए जापानियों के सख्त नियम हैं। जापानी आमतौर पर, तीन मंजिल से कम ऊंचाई वाली इमारतों के लिए एक खास मजबूती वाली नीवँ और दीवारें बनाते हैं। मध्यम ऊंचाई वाली इमारतों में अधिक गहन इंजीनियरिंग इस्तेमाल की जाती है, जबकि ऊंची इमारतों के लिए उन्नत भूकम्प रोधी डिजाइन तैयार किया जाता है, जिसकी देश के शीर्ष इंजीनियर पहले समीक्षा करते हैं। मध्यम ऊंचाई वाली इमारतों में बड़ी मात्रा में रबर या झटके झेलने वाला तरलयुक्त अवशोषकों को इस्तेमाल में लाया जाता है। इसी कारण भयानक भूकम्प में भी जापान में ऊंची इमारतें हिली–डुली जरूर, लेकिन वे ढही नहीं, बल्कि अपनी जगह खड़ी रहीं।

आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एचपीएल) भारत में प्रीफैब प्रौद्योगिकी में अग्रणी है, जो सिविल निर्माण परियोजनाओं में हाई–टेक परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएं प्रदान करता है।

प्रॉलिप्रोप्लीन हनीकाम्ब प्रौद्योगिकी

प्रॉलिप्रोप्लीन हनीकाम्ब प्रौद्योगिकी का पहले जहाजों और विमानों के लिए कंटेनर बनाने में प्रयोग किया जाता था। अब हल्के, पारिस्थितिकी हितैषी हनीकाम्ब पैनलों के प्रयोग द्वारा लागत और समय बचाने के लिए इसका प्रयोग अनेक औद्योगिक और उपभोक्ता अनुप्रयोगों के लिए किया जा रहा है।

काष्ठ आवास

काष्ठ आवास संरचनाएं काष्ठ से बने प्रीफैब्रीकेटड संरचनात्मक तत्वों से बनायी जाती हैं। तत्पश्चात इन्हें स्थल पर व्यवस्थित किया जाता है/जोड़ा जाता है। आवास और वाणिज्यिक कार्यों के लिए विशेष किस्म की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है।

विस्तारित पालिस्ट्रीन कोर पैनल (ईपीएस)

जी+3 तक के कम ऊंचे भवनों के निर्माण के लिए विस्तारित पालिस्ट्रीन कोर पैनल सिस्टम एक फैक्ट्री उत्पादित पैनल सिस्टम है तथा यह ऊंचे आरसीसी और स्टील फ्रेम भवनों में ''फिलर वॉल'' के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इस तकनीक में, लहरदार पालिस्ट्रीन कोर को अंतः संबंद्ध जिंक लेपित तार की वैल्ड की हुई जाली से दोनों ओर से आवरण करके प्रबलित और शार्टक्रीट कंक्रीट से भरा जाता है।

प्रीकास्टर कंक्रीट प्रौद्योगिकी

प्रीकास्टर कंक्रीट का अर्थ उस कंक्रीट अव्यव से है जिसे निर्माण संयंत्र में ढाल और संसाधित न करके निर्दिष्ट स्थान से किसी अन्य स्थान पर ढाला और संसाधित किया जाता है। जिसे सरंचनात्मक फ्रेम, फर्श और छत आदि के लिए बड़े पैमाने पर भवन संरचनाओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है।

ग्लास फाइबर प्रबलित जिप्सम (जीएफआरजी)

जीएफआरजी को तीव्र दीवार के रूप में जाना जाता है जो जिप्सम प्लास्टर से बनायी जाती है और ग्लास फाइबर से प्रबलित की जाती है। यह बड़े पैमाने पर भवन निर्माण के लिए उपयुक्त है और जल और अग्नि सह लेती है।

लाइटगेज स्टील फ्रेम संरचना (एलजीएस)

इस प्रौद्योगिकी में फ्रेमिंग अव्यव महीन इस्पात खंड होते हैं जिन्हें कोल्ड फार्म्ड सैक्शन कहा जाता है और जिन्हें सामान्य तापमान पर रूप/ आकार दिया जाता है। यह मोटे ताप रॉल खंड से भिन्न होते हैं उन्हें तब आकार दिया जाता है जब इस्पात गर्म होकर पिघला होता है। यहां जिंक और एलमुमिनियम का मिश्रण होता है जो इसे क्षारित होने से बचाता है।

पालियूरेथिन फोम (पीयूएफ)

पॉलियूरेथिन फोम दो बाहरी चादरों/ पीपीजीआई शीटों के बीच में ठूंसा जाता है इसलिए इसे पीयूएफ सैंडविच के नाम से भी जाना जाता है। पीयूएफ पृथककारी पैनलों का प्रयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है जैसे कोल्ड स्टोरेज, पैक हाऊसों, प्रीफैब्रिकेटड आश्रयों, आवासीय शैल्टरों, स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक आदि के निर्माण में। यह पैनल हल्के, उच्च शक्ति के साथ सख्त और मजबूत होते हैं और उच्च अग्नि सह होते हैं।

पूर्व अभियांत्रिकी भवन(एलजीएस और सैंडविच पैनलों के साथ स्टील संरचना)

इस का निर्माण फैक्ट्री में ढोस गुणवत्ता नियंत्रण वातावरण में किया जाता है तथा इसके सभी कनेक्शन बोल्टों से जोड़े जाते हैं। यह राजगिरी निर्माण से 30 से 40 प्रतिशत जल्दी बनते है। सैंडविच दीवार पैनल 75 एमएम/ 50 एमएम के हल्के फाइबर प्रबलित एरिएंटड कंक्रीट कोर से बने होते हैं जिसमें पोर्टलैंड सीमेंट, फ्लाईएश आदि का प्रयोग किया जाता है।

मोनोलिथिक कंक्रीट प्रौद्योगिकी(शीयर वॉल प्रौद्योगिकी)

मोनोलिथिक आरसीसी निर्माण में विभिन्न एल्युमिनियम और पीवीसी सैक्शनों से युक्त ढांचे का हार्डवेयर प्रयोग में लाया जाता है। यह एक संरचनात्मक सिस्टम है जिसमें ब्रेस्ड पैनल लगे होते हैं (शीयर पैनलों के नाम से भी जाना जाता है) जिससे संरचना पर लेटरल लोड का प्रतिकरण किया जाता है। जो वायु वेग और भूकंपरोधी दीवारों के लिए डिज़ाइन किए जाते है।

बेटी का महत्व

श्री प्रताप लाल
ए.एफ.(एस.जी.)

अगर बेटा वारिस है, तो बेटी पारस है।
अगर बेटा वंश है, तो बेटी अंश है।।
अगर बेटा आन है, तो बेटी शान है।
अगर बेटा संस्कार है, तो बेटी संस्कृति है।।
अगर बेटा आग है, तो बेटी बाग है।
अगर बेटा दवा है, तो बेटी दुआ है।।
अगर बेटा भाग्य है, तो बेटी विधाता है।
अगर बेटा शब्द है, तो बेटी अर्थ है।।
अगर बेटा गीत है, तो बेटी संगीत है।
जब इतनी कीमती हैं बेटियाँ।
तो फिर क्यों खटकती हैं, मन को बेटियाँ।
जबकि सबको पता है, बेटों को जन्म देती हैं
बेटियाँ..

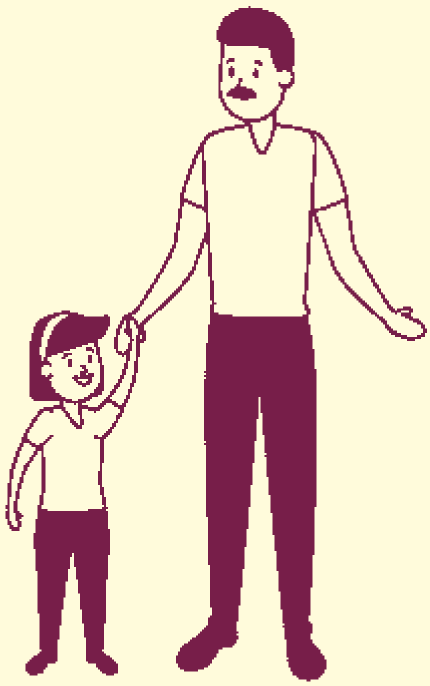

स्वच्छ देहरादून अभियान समाजिक दायित्व – इको ग्रुप – एक अनोखी पहल ...

संजय भार्गव
संयुक्त महाप्रबंधक (परि0)

सार्वजनिक जीवन में देखा जाता है कि समाज के प्रति जवाबदेही या तो किसी दायित्व का निर्वाह करते हुए बनती है या किसी लोभ–प्रलोभन से होती है। देहरादून शहर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर को अग्रणीय शहर बनाने हेतु प्लास्टिक से निजात पाने के लिए सरकारी संस्थानों ने 6 माह पहले एक पहल शुरू की जिसमें विभिन्न स्तर पर प्लास्टिक उत्पादों की रोकथाम एवं दून वैली को इको फ्रैन्डली (पर्यावरण के अनुकूल) बनाए रखा जा सके। इसको देखते हुए केवल विहार कॉलोनी जो कि देहरादून की सहस्त्रधारा रोड़ पर स्थित है, के निवासी आशीष गर्ग, महाप्रबन्धक सिविल, ओ.एनजी. सी., श्री राकेश भारद्वाज वैज्ञानिक–एफ, डील, श्री अमित जैन वरि0 प्रबंधक (स्टेट बैक ऑफ इंडिया) एवं श्री संजय भार्गव, संयुक्त महाप्रबंधक (परियोजना) हडको, ने इको ग्रुप बनाया जिसने जून 2019 में सबसे पहले घर के पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करके थैले बनाने की मुहिम चालू की साथ ही कालोनी में सूखा कचरा अलग कर 200 परिवारों की कॉलोनी को सूखे कचरे को अलग करने की मुहिम से जोड़ने को प्रेरित किया। 15 अगस्त 2019 को जब प्रधानमंत्री जी द्वारा लाल किले की प्राचीर से कपड़े के थैले के उपयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा था तो इको ग्रुप द्वारा निजी संसाधनों के माध्यम से 120 परिवारों को थैले वितरित किए जा चुके थे। अपशिष्ट प्रबंधन के तहत जैव निम्नीकरण कचरे को कम्पोस्टिंग पिट एवं गमलों में डालने के लिए जागरूक किया। अब तक इस कॉलोनी में 5 टन सूखे कचरे को अलग किया जा चुका है तथा 6000 थैले वितरित किए जा चुके हैं। ''स्मार्ट सिटी'' द्वारा शहर की विभिन्न कॉलोनियों में से केवल विहार कॉलोनी को नम्बर एक घोषित किया गया है जिसमें इको ग्रुप का मुख्य योगदान रहा। अब इस मुहिम को बढ़ाते हुए प्लास्टिक की थैलियों एवं प्लास्टिक की बोतलों को बन्द करने की मुहिम चलाई जा रही है और कॉलोनी के आसपास नदी, नालों को स्वच्छता से जोड़ा जा रहा है। आने वाले समय में इस मुहिम को और तेजी मिलने के आसार है।

अतः दृढ निश्चय हो तो कुछ भी असम्भव नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि हम केवल कार्यालय को ही साफ सुथरा रखने की मुहिम में सांकेतिक भाग लें। यदि हम समाज और अपने निवास स्थान में भी जागरूकता लाऐंगे तो हमें कॉलोनी के साथ शहर को भी स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी।

नई इनकम टैक्स (आयकर) प्रणाली

अशोक कुमार लालवानी
संयुक्त महाप्रबंधक(वित्त)

वित्त मंत्रालय द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के सेक्शन 115बीएसी के अंतर्गत व्यक्तियों और एचयूएफ करदाताओं के लिए नई टैक्स व्यवस्था पेश की है। नई टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत करदाता पूर्व वित्त वर्ष (2019–2020) में लागू टैक्स प्रणाली अथवा नयी टैक्स व्यवस्था में लागू रियायती (कन्सेशनल) इनकम टैक्स प्रणाली (रेट्स) का विकल्प चुन सकते हैं। पुरानी एवं नयी आयकर प्रणाली का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है –

वार्षिक आय (इनकम)	नई टैक्स व्यवस्था(छूट)	पुरानी टैक्स व्यवस्था(छूट)
₹ 2.5 लाख तक	0	0
₹ 2.5 लाख – ₹ 5.00 लाख	5%*	5%*
₹ 5 लाख – ₹ 7.50 लाख	10%	20%
₹ 7.5 लाख – ₹ 10.00 लाख	15%	20%
₹ 10 लाख – ₹ 12.50 लाख	20%	30%
₹ 12.5 लाख – ₹ 15.00 लाख	25%	30%
₹ 15 लाख से ज्यादा	30%	30%

*आयकर अधिनियम, 1961 के सेक्शन 87ए के अनुसार ₹5 लाख तक के करयोग्य आय (टैक्सेबल इनकम) वाले व्यक्तियों को ₹12500/– या इनकम टैक्स की 100% राशि, जो भी कम हो, छूट का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

डिडक्शन्स (कटौतियों) की सूची जो नई टैक्स व्यवस्था में उपलब्ध नहीं होंगे:

नई टैक्स व्यवस्था में जो व्यक्ति आयकर/इन्कम टैक्स स्लैब 2020 का विकल्प चुनेंगे वे आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कुछ लोकप्रिय डिडक्शन्स (कटौतियों) और एक्जेम्पशन्स (छूट) का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इनमे से कुछ सर्व प्रचलित डिडक्शन्स (कटौतियाँ) और एक्जेम्पशन्स (छूट) इस प्रकार हैं:

- सेक्शन 80 सी डिडक्शन (कटौती)
- सेक्शन 80 डी
- चौप्टर VI-ए के अंतर्गत कोई भी डिडक्शन (कटौती)
- स्टैन्डर्ड डिडक्शन
- लीव टैक्स अलाउंस (एलटीए) / अवकाश यात्रा भत्ता
- हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) / घर किराया भत्ता
- सेक्शन 24 के अंतर्गत होम लोन (गृह कर्ज) पर इंटरेस्ट (ब्याज)
- प्रोफेशनल टैक्स (पेशेवर कर)

*सेक्शन 80सीसीडी (2) और 80जेजेएए को छोड़कर

सामान्य व्यक्तियों और सीनियर सिटिजन्स के लिए इनकम टैक्स पर (अधिभार)

निर्धारिती (असेसी) की कुल आय (इनकम) यदि एक विनिर्दिष्ट (स्पेसीफाइड) इनकम / आय सीमा से ज्यादा होती है तो उस पर सरचार्ज (अधिभार) लगाया जाता है। आईए वित्तीयवर्ष 2020–21 के लिए इनकम टैक्स पर सरचार्ज (अधिभार) के बारे में पता करते हैं।

वर्तमान सरर्चाज (अधिभार) रेट्स (दरें) 2020–21

इनकम (आय)	सरचार्ज (अधिभार) रेट / दर
₹50 लाख से कम	शून्य
₹50 लाख–₹1करोड़	10%
₹1 करोड़–₹ 2 करोड़	15%
₹ 2 करोड़–₹ 5 करोड़	25%
₹5 करोड़–₹10 करोड़	37%
₹10 करोड़ से ज्यादा	37%

पुरानी टैक्स व्यवस्था या नई टैक्स व्यवस्था : कौनसी बेहतर है?

क्योंकि वित्तीय वर्ष 2020–21 में 2 टैक्स व्यवस्था उपलब्ध है, इसलिए आपके लिए यह जानना जरुरी है कि इनकम टैक्स का बोझ कम करने हेतु आपको कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। हाँलाकि, यदि आप नई टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत नए इनकम टैक्स स्लैब 2020 का लाभ लेना चाहते हैं तो वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए इनकम टैक्स परिकलित करने के लिए आप उपरोक्तानुसार विभिन्न डिडक्शन्स (कटौतियाँ) क्लेम नहीं कर सकते। आईए विभिन्न सैलरी ब्रैकेट के अंतर्गत कुछ उदाहरणों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं – पुरानी टैक्स व्यवस्था या नई टैक्स व्यवस्था में कौन बेहतर है।

केस 1– टैक्सेबल इनकम (करयोग्य आय) ₹10 लाख से कम

26 वर्षीय स्नेहा, एक स्टार्टअप कंपनी में प्रति वर्ष 7 लाख की सैलरी पर काम करती है। यदि वो सेक्शन 80 सी के अंतर्गत ₹1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट्स (निवेश) करती हैं और मान लेते हैं कि ₹10,000/- के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करती है जिसके लिए आयकर अधिनियम / इनकम टैक्स एक्ट,1961 के सेक्शन 80डी के अंतर्गत वह लाभ उठा सकती हैं। आईए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रेट नयी व्यवस्था टैक्स के अनुसार और पुरानी टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत देय टैक्स की जाँच करते हैं :–

विवरण	नई टैक्स व्यवस्था (रु.में)	पुरानी टैक्स व्यवस्था (रु.में)
ग्रॉस टोटल इनकम / सकल कुल आय	7,00,000	7,00,000
कमः सेक्शन 80सी डिडक्शन्स (कटौतियाँ)	–	(1,50,000)
कमः सेक्शन 80डी डिडक्शन्स (कटौतियाँ)	–	(10,000)
कमः स्टैन्डर्ड डिडक्शन्स (कटौतियाँ)	–	(50,000)
टैक्सेबल इनकम (करयोग्य आय)	7,00,000	(4,90,000)

इनकम टैक्स स्लैब 2020–21 के अनुसार देय टैक्स (पेयेबल टैक्स)

₹2.5 लाख तक	0	0
₹2.5 लाख –₹5 लाख	12,500	12,000
₹5 लाख – ₹7.5 लाख	20,000	–

*आयकर अधिनियम, 1961 के सेक्शन 87ए के अंतर्गत दी जानेवाली छूट है ₹12500/– या वास्तविक देय टैक्स, जो भी कम हो। यह केवल उन व्यक्तियों के लिए लागू होता है जिनकी टैक्सेबल इनकम (करयोग्य आय) प्रतिवर्ष ₹5 लाख तक हो।

केस 2– टैक्सेबल इनकम (करयोग्य आय) ₹10 लाख से ₹15 लाख के बीच

30 वर्षीय व्यक्ति कार्तिक एक कंपनी में काम करते हैं। उनकी कुल इनकम है ₹12,00,000/– वह सेक्शन 80 सी के अंतर्गत ₹1.5 लाख और सेक्शन 80सीसीडी के अंतर्गत ₹50,000/– नेशनल पेन्शन सिस्टम में इन्वेस्ट (निवेश) करने की प्लानिंग कर रहे हैं। उनके पास मेडिकल इंश्योरेंस है जिसके लिए उन्हें प्रीमियम के तौर पर ₹20,000/– का भुगतान करना होता है जिसे पर आयकर अधिनियम/ इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80डी के अंतर्गत एक डिडक्शन (कटौती) के तौर पर उन्हें लाभ मिल सकता है। आईए पुरानी टैक्स व्यवस्था तथा नई टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 (निर्धारण वर्ष 2021–22) के लिए देय (पेयेबल) इनकम टैक्स की जाँच करते हैं:–

विवरण	नई टैक्स व्यवस्था (रू.में)	पुरानी टैक्स व्यवस्था (रू.में)
ग्रॉस टोटल इनकम/ सकल कुल आय	12,00,000	12,00,000
कम: सेक्सन 80 सी (कटौतियाँ)	-	(1,50,000)
कम: सेक्सन 80 सीसीडी डिडक्शन्स	-	-50,000
कम: सेक्सन 80 डी (कटौतियाँ)	-	-20,000
कम: स्टैन्डर्ड डिडक्शन्स (कटौतियाँ)	-	-50,000
टैक्सेबल इनकम (करयोग्य आय)	Rs.12,00,000	Rs.9,30,000
इनकम टैक्स स्लैब 2020–21 के अनुसार देय टैक्स (पेयेबल टैक्स)		
₹2.5 लाख तक	0	0
₹2.5 लाख –₹5 लाख	12,500	12,500
₹5 लाख –₹7.5 लाख	25,000	50,000
₹7.5 लाख –₹10 लाख	37,500	36,000
₹10 लाख –₹12.5 लाख	40,000	0
कुल	1,15,000	98500
जोड़ें:स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर/ सेस (4%)	4600	3940
नेट टैक्स पेयेबल	**1,19,600**	**Rs.1,02,440**

केस 3– टैक्सेबल इनकम (करयोग्य आय) ₹15 लाख से ज्यादा

37 वर्षीय मनीष एक एमएनसी (बहुराष्ट्रीय कंपनी) के लिए काम करते हैं और सालाना ₹16 लाख कमाते हैं। टैक्स की बचत के लिए इस वित्तीय वर्ष में वह कुछ इन्वेस्टमेंट (निवेश) करने की प्लानिंग कर रहे हैं।सेक्शन 80सी के अंतर्गत ₹1.5 लाख और सेक्शन 80सीसीडी के अंतर्गत ₹50,000/– इन्वेस्ट (निवेश) करने की वह प्लानिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही वह ₹25,000/– का हेल्थ इंश्योरेंस का भुगतान करते हैं जिसके लिए सेक्शन 80डी के अंतर्गत उन्हें डिडक्शन (कटौती) का लाभ मिल सकता है। उन्होंने होम लोन (गृह कर्ज) भी लिया हुआ है। इसके साथ उन्हें सेक्शन 24 के अंतर्गत होम लोन इंटरेस्ट राशि पर ₹2 लाख के डिडक्शन (कटौती) का लाभ मिलेगा।

आईए पुरानी टैक्स व्यवस्था वि. नई टैक्स व्यव्स्था के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए देय इनकम टैक्स की जाँच करते है।

विवरण	नई टैक्स व्यवस्था (रू.में)	पुरानी टैक्स व्यवस्था (रू.में)
ग्रॉस टोटल इनकम/ सकल कुल आय	16,00,000	16,00,000
कमः सेक्सन 80 सी (कटौतियाँ)	-	(1,50,000)
कमः सेक्सन 80 सीसीडी डिडक्शन्स	-	-50,000
कमः सेक्सन 80 डी (कटौतियाँ)	-	-25,000
कमः स्टैन्डर्ड डिडक्शन्स (कटौतियाँ)	-	(2,00,000)
टैक्सेबल इनकम (करयोग्य आय)	-	-50,000
	Rs.16,00,000	Rs.11,25,000
टैक्सेबल इनकम (करयोग्य आय)		
₹2.5 लाख तक	0	0
₹2.5 लाख –₹5 लाख	12,500	12,500
₹5 लाख –₹7.5 लाख	25,000	50,000
₹7.5 लाख –₹10 लाख (15%)	37,500	50,000
₹10 लाख –₹12.5 लाख (20%)	50,000	37,500
₹12.5 लाख –₹15 लाख (25%)	62,500	-
₹15 लाख से ज्यादा (30%)	30,000	-
कुल	2,17,500	1,50,000
जोड़ें: स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर/सेस (4%)	8700	6,000
नेट टैक्स पेयेबल	**2,26,200**	**Rs.1,56,000**

नई टैक्स व्यवस्था में ₹15 लाख तक के इनकम टैक्स वर्ग में कम इनकम टैक्स स्लैब रेट्स (दरें) पेश की गई हैं। लेकिन, आपको नई टैक्स व्यवस्था का लाभ केवल तभी मिल सकता है जब आप पुराने टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत मिलने वाले 70 डिडक्शन्स (कटौतियों) छोड़ने के लिए तैयार हैं। इन एक्ज़ेम्प्शन्स (छूट) और डिडक्शन्स (कटौतियों) में शामिल हैं लीव ट्रैवल अलाउंस (एलटीए) / अवकाश यात्रा भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस(एचआरए)/घर किराया भत्ता, आयकर अधिनियम के चैप्टर VI-ए के अंतर्गत डिडक्शन्स (कटौतियाँ) जिसमें सेक्शन 80 सी, 80सीसीसी, 80सीसीडी, 80डी, 80डीडी, 80ई, 80ईई, 80जी, 80जीजी, 80जीजीए, 80जीजीसी और अन्य। इतना ही नहीं आप स्टैन्डर्ड डिडक्शन (कटौती) और सेक्शन 24 के अंतर्गत होम लोन (गृह कर्ज) इंटरेस्ट (ब्याज) का लाभ भी नहीं उठा पाएंगे।

अतः सभी करदाताओं को चाहिए कि अपनी आय स्लैब एवं अपने निवेश एवं बचत के अनुसार अपनी कर देयता का आकलन करते हुए पुरानी अथवा नयी कर प्रणाली में से चुनाव करे।

खेल दिवस का उत्सव

विवेक प्रधान
उप प्रबंधक (परियोजना)

हडको क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में दिनांक 25 जनवरी 2020 को प्रथम खे़ल दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रकार के आऊटडोर एवं इनडोर खेलों का आयोजन किया गया जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के समस्त कर्मियों एवं परिवार के सदस्यों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपनी प्रतिभागिता की कार्यक्रम के अंत में सभी विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया गया। प्रस्तुत है खे़ल दिवस की कुछ झलकियाँ:–

इनडोर एण्ड आउटडोर गेम्ज़

पुरस्कार वितरण
PRIZE DISTRIBUTION

"कोविड – 19 पेंडेमिक"

हरि मोहन भटनागर
क्षेत्रीय प्रमुख

वर्ष 2019 अपने अंतिम चरण पर था तथा नए संकल्पों के साथ वर्ष 2020 के स्वागत की तैयारियों में विश्व भर के लोग आतुरता से प्रतीक्षारत थे। लगभग उन्हीं दिनों में People Republic of China (PRC) से एक अकल्पनीय, अघोषित, विचित्र बीमारी की अपुष्ट खबरें आना प्रारम्भ हुई जिसकी विकरालता की कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। धीरे–धीरे इस बीमारी ने चीन के वुहान शहर से निकलकर अन्य शहरो एवं प्रदेशों को अपनी चपेट में लेना शुरू किया और मात्र दो माह के भीतर चीन से निकलकर अन्य महाद्वीपों में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हुए विभिन्न देशों को शिकार बना दिया। चुकिं यह कोविड–19 नामक एक वायरस जनित बीमारी है तो इसका प्रसार अतिशीघ्र मानव समुदाय द्वारा ही हो रहा था। शीघ्र ही स्थिति की भयावहता को देखते हुए इस महामारी का दर्जा देते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व के समस्त राष्ट्रों को सतर्क करते हुए "कोविड–19 पेंडेमिक" से युद्ध स्तर पर निपटने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए सचेत कर दिया गया।

भारत में इस वायरस का पहला शिकार 20 साल की एक युवती थी, जो 25 जनवरी 2020 को चीन के वुहान शहर से भारत वापस लौटी थी, जहां से इस खतरनाक वायरस की शुरूआत हुई है। युवती तीन साल से वुहान में चिकित्सा की पढ़ाई कर रही थी। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण का यह पहला मामला दिनांक 30 जनवरी 2020 को दक्षिण भारतीय राज्य केरल से सामने आया था। परंतु शीघ्र ही मरीजों की संख्या बढ़ने लगी तथा सरकार ने भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए देश व्यापी लॉकडाउन को विभिन्न चरणों में लागू कर दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड–19 महामारी की रोकथाम तथा बचाव हेतु सभी प्रकार के संस्थान यथा सरकारी एवं अर्धसरकारी कार्यालय, निजी संस्थान, शिक्षण संस्थान, मॉल, मल्टीप्लेक्स, बाजार जन परिवहन के साधन एवं सभी सामान्य जन हेतु मानक परिचालक (SOP) लागू कर दिए गये। कार्यालय अध्यक्षों को कहा गया कि वे अपने अधीन कार्यालय की साफ–सफाई एवं स्टाफ के स्वास्थ्य पर विशेष निगरानी रखें। हडको के तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री एम, नागराज द्वारा भी इस संर्दभ में मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालय एवं विकास कार्यालयों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए विशेष सावधानी बरतने हेतु कहा गया भारत सरकार के निर्देशों तथा हडको मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में कोविड–19 वायरस के फैलाव को रोकने हेतु निम्न उपाय किए गए है जो कि लगातार जारी है:–

- अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अनावश्यक रूप से कार्यालय से बाहर जाना सीमित किया गया है।
- साबुन पानी हर समय बाथरूम में उपलब्ध होना और दिन में दो बार बाथरूम की सफाई।
- कार्यालय डेस्क केबिन के साझाकरण को प्रतिबंधित किया जाना।
- संबंधित कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा कार्यस्थल टेबल की सफाई स्वयं किया जाना।
- सभी स्टॉफ सदस्यों का ऑफिस और बाहर मास्क पहनना अनिवार्य है।
- डोर नॉब स्विच कामन एरिया को नियमित आधार पर साफ किया जाना।
- दोपहर के भोजन का कोई साझाकरण नहीं।
- कार्यालय में नियमित रूप से सेनेटाईजेशन।
- पेंट्री सुविधा को फिलहाल बन्द रखा जाना।
- सभी स्टाफ सदस्यों का नियमित मेडिकल चैक–अप।

‘सतर्कता जागरूकता सप्ताह’

देहराहदून क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 27.10.2020 से 02.11.2020 तक ‘सतर्कता जागरूकता सप्ताह’ मनाया गया। ‘सतर्कता जागरूकता सप्ताह’ का शुभारम्भ क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को क्षेत्रीय प्रमुख, श्री हरि मोहन भटनागर द्वारा शपथ दिला कर किया गया।

सप्ताह के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय में सतर्क भारत–समृद्ध–भारत विषय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया जिसमें श्री अशोक कुमार लालवानी, संयुक्त महाप्रबंधक(वित्त) ने आशुभाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता एवं स्लोगन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया, श्री बलराम सिंह चौहान, उप प्रबंधक(आई.टी.) ने आशुभाषण प्रतियोगिता में द्वितीय एवं निबंध प्रतियोगता में तृतीय स्थान प्राप्त किया। इन प्रतियोगिताओं में क्षेत्रीय कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने बढ–चढ़कर भाग लिया।

दिनांक 02.11.2020 को ''साईबर सिक्योरिटी'' पर ITDA Department के विशेषज्ञ श्री आलोक तोमर एवं श्री नवीन पडियार द्वारा ऑनलाईन सेशन लिया जिसमें सोशल मिडिया, एवं कार्यालय में दिन प्रतिदिन साईबर सिक्योरिटी के प्रति जागरूक करने में बहुत ही उपयोगी जानकारियां दी गई।

कार्यक्रम के अंत में संयुक्त महाप्रबंधक (परियोजना)/ नोडल सतर्कता अधिकारी, श्री संजय भार्गव, संयुक्त महाप्रबंधक (परियोजना) द्वारा हडको क्षेत्रीय कार्यालय की और से श्री आलोक तोमर एवं श्री नवीन पडियार एवं अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

पांच रोचक जीवनोपयोगी तथ्य

कीर्ति राणा
प्रशिक्षु प्रबंधन (वित्त)

1. शाम के वक्त महिलाओं की गिरफतारी नहीं हो सकती:– कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सेक्शन 46 के तहत शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के पहले भारतीय पुलिस किसी भी महिला को गिरफतार नहीं कर सकती, फिर चाहे गुनाह कितना भी संगीन क्यों ना हो। अगर पुलिस ऐसा करते हुए पाई जाती है तो गिरफतार करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है। इससे उस पुलिस अधिकारी की नौकरी खतरे में आ सकती है।

2. सिलेंडर फटने से जान–माल के नुकसान पर 40 लाख रूपये तक का बीमा कवर क्लेम कर सकते हैं:– पब्लिक लायबिलिटी पालिसी के तहत अगर किसी कारण आपके घर में सिलेंडर फट जाता है और आपको जान–माल का नुकसान झेलना पड़ता है तो आप तुरन्त गैस कम्पनी से बीमा कवर क्लेम कर सकते है। आपको अवगत करा दें कि गैस कम्पनी से 40 लाख रूपये तक का बीमा क्लेम कराया जा सकता है, यदि कम्पनी आपका क्लेम देने से मना करती है या टालती है तो इसकी शिकायत पर , दोषी पाये जाने पर गैस कम्पनी का लायसेन्स रद्द हो सकता है।

3. कोई भी होटल चाहे वो 5 स्टार ही क्यों ना हो – वहाँ आप फ्री में पानी पी सकते है और बाथरूम इस्तेमाल कर सकते है:– इंडियन सराय एक्ट 1887 के अनुसार आप देश के किसी भी होटल में जाकर पानी मांगकर पी सकते है, और उस होटल का वाश रूम भी इस्तेमाल कर सकते है। होटल छोटा हो या 5 स्टार, वह आपको रोक नहीं सकते, यदि होटल मालिक या कोई कर्मी आपको पानी पिलाने या वाश रूम इस्तेमाल करने से रोकता तो शिकायत पर उसका लायसेन्स रद्द हो सकता है।

4. गर्भवती महिलाओं को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता:– मैटरनिटी बेनीफिट एक्ट 1961 के मुताबिक गर्भवती महिलाओं को अचानक नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। नोटिस देनी होगी और प्रेगनेंसी के दौरान लगने वाले खर्च का कुछ हिस्सा देना होगा, अगर कोई ऐसा नहीं करता है, शिकायत होने पर अपेक्षित कार्यवाही हो सकती है।

5. पुलिस अधिकारी आपकी शिकायत लिखने से मना नहीं कर सकता:– आईपीसीसी के सेक्शन 166–ए के अनुसार कोई भी पुलिस अधिकारी आपकी शिकायत दर्ज करने से इनकार करने पर उसके खिलाफ वरिष्ठ पुलिस के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है एवं दोषी पुलिस अधिकारी को 6 माह से 1 वर्ष तक जेल हो सकती है या फिर उसकी नौकरी तक जा सकती है।

माँ

– आरुषी लालवानी
पुत्री श्री अशोक कुमार लालवानी
संयुक्त महाप्रबन्धक (वित्त)

मां तो होती है ममता की फुहार,
मां की तो ड़ांट में भी छिपा होता है उनका प्यार।

मां अपने बच्चे की रक्षा करती है जैसे एक वीर, की तलवार,
क्योकि वही होता है उसके जीवन का सार।

मां से ही होता है जीवन का आरंभ,
मां से ही होती है शिशु की शिक्षा प्रारम्भ।
मां को ना भाए कोई उपहार,
वह तो चाहे थोड़ा सम्मान और प्यार।

मां की ममता को ना तू ललकार,
वह नहीं सहेगी अपने बच्चे पर कोई प्रहार।

बच्चे की एक पीड़ा भरी पुकार से मां हो जाती है बेचैन,
उसकी खुशियों के लिए त्याग देती है अपना सुख चैन।

मां को तुम कभी न सताना,
मां तो है खुशियों का खजाना।

बिन मां के आशीर्वाद ना आरंभ करना अपना घर संसार,
क्योंकि मां ही होती है प्रभु का एक प्रकार।

हे! हिन्दी तुम्हें प्रणाम

बलराम सिंह चौहान,
उप प्रबंधक(आई.टी.)/ नोडल अधिकारी(रा.भा.)

नवयुग स्वर्ण पथ, रूप निराला हिन्दी का।
अर्थ भी बदल जाये, महत्व है बिन्दी का।।

मात्रायें हिन्दी की, कर देती है कमाल।
अक्षर अक्षर जोडके, बनता है एक सवाल।।

जन से जन को जोडने वाली, माध्यम है मिलाने वाली।।
राष्ट्र भाषा है इसका नाम, हे! हिन्दी तुम्हें प्रणाम।।

देश जब था यह गुलाम, तब भी थी यह भाषा आम।।
क्षेत्र इस का विस्तृत है, चारों दिशाओं में स्थित है।।

हिन्दी भाषा से देश की शान, जिसका है हमें अभिमान।।
आपस के सब भेद मिटाकर, प्रेम भाव से हृदय सजाकर।।

विस्तार हिन्दी का कराओं, राष्ट्र का ही नाम होगा,
जन–2 को जगाओं, हिन्दी का हो ऊँचा नाम।

हे! हिन्दी तुम्हें प्रणाम।।

हडको मुख्यालय द्वारा राजभाषा के प्रचार एवं प्रसार तथा
हडको में राजभाषा नीति के सुदुर अनुपालन को सुनिश्चित करने के
उद्देश्य से 26 एवं 27 दिसम्बर 2019 को हडको प्रशिक्षण केन्द्र में
दो दिवसीय राजभाषा मंथन संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिसका शुभारम्भ श्री एम. नागराज, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, हडको (तत्कालीन)
द्वारा किया गया, इस दौरान हुई राजभाषा आधारित प्रतियोगिता में
श्री जगदीश चन्द्र पाठक, सहायक प्रबंधक (वित्त)/नोडल सहायक (रा.भा.),
हडको क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

श्री एम. नागराज, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हडको
एवं श्री अजय मिश्रा, मुख्य सतर्कता अधिकारी,
हडको राजभाषा मंथन संगोष्ठी में प्रथम पुरस्कार देते हुए

हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि0
(भारत सरकार)
देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय
74/1, राजपुर रोड, जीएमवीएन बिल्डिंग, द्वितीय तल, देहरादून
दूरभाष : 0135–2748405
ई–मेल : hudcodhro@gmail.com

हडको जीवन गुणवत्ता में सुधार के लिए सबके लिए सत्त् पर्यावास को बढ़ावा देता है।

सबके लिए आवास | कार्मिक प्रशिक्षण | परामर्श सेवाऐं
सी एस आर के लिए प्रतिबद्ध | अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर

वर्ष 1970 से भारत में आवास और शहरी अव–संरचना परियोजनाओं को ऋण उपलब्ध कराते हुए हडको भारत की प्रमुख तकनीकी वित्त पोषक कम्पनी है जो अनवरत विकास के साथ ईडब्लूएस/एलआईजी श्रेणी के आवास जरूरतों पर विशेष जोर देती है।

अनुरोध :

पत्रिका को और अधिक सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए पाठकों की प्रतिक्रियाएं हमारे लिए प्रेरणास्रोत हैं। अतः यह अंक आपको कैसा लगा अपनी अनुभूतियों से हमें अवगत करायें। हम आपके सुझावों एवं प्रतिक्रियाओं का स्वागत करते हैं।

बलराम सिंह चौहान
उप प्रबंधक (आई.टी.)/
नोडल अधिकारी (रा.भा.)